न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2014/257 दायर दिनांक 19.12.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. शिवकरणराम पुत्र नाथुराम, उम्र—44साल, जाति—जाट, निवासी—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थन, 3. प्रदीपकुमार पुत्र रामस्वरूप, सरपंच, ग्रामपंचायत—खुनखुना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. दलीचन्द, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत—खुनखुना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. छोटूखा पुत्र जमालखा, जाति—मुसलमान, निवासी—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—188 R.T. Act.

उपस्थित—

1. पक्षकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::— दिनांक 20.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, शरहद खुनखुना खेत खसरा नम्बर 754/445 रकबा 10.04 बीघा वादी की खातेदारी व कब्जाकाश्त का है। उक्त खसरा का पहले खसरा नम्बर 12/445 रकबा 30.05 बीघा था, जिसका बन्टवारा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.10.2007 को करवा लिया, जिसके मुकदमा नम्बर 66/2007 थे। वर्तमान खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा निर्णय दिनांक 06.10.2007 की छायाप्रति वाद के साथ पेश है।

वादी के खेत खसरा नम्बर 754/445 के चिपता ही पूर्वी तरफ खुनखुना स्टेशन से नोजलाँ की ढाणी को आने—जाने का कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 13 है। उक्त कट्टाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में जहाँ मौके पर है, वहाँ पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण नरेगा के द्वारा नहीं करवाकर वादी की कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि में बिना किसी अधिकार के पक्का निर्माण रास्ते का करवा रहे है जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई विधिक् अधिकार नहीं है। वादी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है। गाँव की राजीनीति की वजह से सरपंच द्वैषता रखता है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 2014/257
दायर दिनांक 10.12.2014, निर्णय दिनांक 20.06.2017
शिवकरणराम बनाम् राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, नागौर।

इसलिए वादी की खातेदारी की भूमि में अनाधिकृतरूप से राज्य सरकार के रूपयों का दुरूपयोग कर नरेगा द्वारा पक्का निर्माण करवाने हेतु पत्थर डाल कर निर्माण शरू करने पर आमादा है।

उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा नया रास्ता बनाने की कुचेष्ठा करने पर वादी ने दिनांक 09.12.2014 को श्रीमान् जिला कलक्टर को लिखित कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 13 पर ही निर्माण कराने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसीलदार डीडवाना को लिखा गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 द्वारा वादी की कब्जाकाश्त की भूमि में अनाधिकृत रूप से नया रास्ता कायम करने की कुचेष्ठा की जा रही है। मौके पर पत्थर डाल दिये हैं। अगर मौके पर नाप कर के रास्ता निर्माण करे तो वादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण रास्ते को घुमाव डाल रहे हैं। रास्ता जहाँ रिकॉर्ड में स्थित है वहीं रहना चाहिए। मौके का नजरीनवशा अनुसूची "अ" वाद के साथ पेश है। अगर नजरीनवशा अनुसार नहीं किया गया तो वादी को अजहद नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादी संख्या 02 विकास अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशन में नरेगा का कार्य कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं लैण्ड होल्डर है जिनके विरूद्ध दावा करने से पूर्व दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। मगर उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) सी.पी.सी. तहत् न्यायालय हाजा की आज्ञा से पेश किया जा रहा है जिसका आवेदन अलग से पेश है। प्रतिवादी प्रदीपकुमार सरपंच के पद पर है जो वादी से द्वेषता रखता है इसलिए अपने पद का दुरूपयोग कर वादी की खातेदारी की भूमि में से रास्ता कायम करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 05 उक्त कट्टाणी रास्ते पर ही रास्ते का निर्माण का कार्य ले रखा है मगर वह भी द्वेषतावश वादी की खातेदारी की भूमि में नया रास्ता कायम करने में दिगर प्रतिवादीगण की सहायता कर रहा है इसलिए इनको पक्षकार बनाया गया है।

बिनाया दावा दिनांक 09.12.2014 को जिला कलक्टर को आवेदन करने पर दिनांक 10.12.2014 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही का आदेश देने के उपरान्त भी निर्माण चालू रखने पर पैदा हुई।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद खुनखुना में खेत खसरा नम्बर 754/445 रकबा 10.04 बीघा वादी की कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा कोई नया रास्ता कायम नहीं करे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वर्तमान कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 13 पर ही नया रास्ता कायम किया जावे। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की भूमि में नया रास्ता कायम कर दे तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश करने पर प्रकरण में जवाब का अवसर बन्द किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2014/257
दायर दिनांक 19.12.2014, निर्णय दिनांक 20.06.2017
शिवकरणराम बनाम् राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

वाद के साथ, जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम खुनखुना सम्वत् 2070–2073 तक खेवट संख्या 284 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम खुनखुना सम्वत् 2070 खसरा संख्या 756/15, 752/113, 754/445 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश मौजा खुनखुना सन 1960–61 की वाद पत्रावली में संलग्न है।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित हुए। वादी को सुना गया। वादी दावा अनुसार, दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। मजमे आम में जानकारी ली गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया।

वादी की इस्तदुआ है कि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान जहाँ पर रास्ता दर्ज है वहाँ पर ही रास्ता कायम रखा जावे तथा वादी की कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि में नया रास्ता कायम नहीं किया जावे। चूँकि वादी के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि शरहद खुनखुना में वादी की खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 754/445 रकबा 10.04 बीघा में नरेगा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण नहीं किया जावे व कट्टाण सुदा रास्ता पर ही सड़क बनाई जावे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **20.06.2017** को कोर्ट कैम्प–गोदरास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–गोदरास

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner